

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

इसलाम बनाम सब्बीर व अन्य

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज  
वाद पत्र - 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
वाद संख्या 84 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हैं को  
सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस  
जारी हो। पत्रावली 25-03-2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

पत्रावली आज वादी के प्राथमिक पत्र परतलक  
होकर पेश हुई। वादी ने प्राथमिक पत्र प्रस्तुत कर  
अपने वाद को विशुद्ध करने का निवेदन किया  
वादी की पहचान वादी के अधिवक्ता ने की। पत्रों  
का अवलोकन किया वादी का वाद वादी के प्राथमिक  
पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का फर्सल  
शुमार होकर वादतकमील जमा लीख वादर हो

इसलाम  
वृ  
Kmal  
11-2-22

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)